विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च, 2016/चैत्र 2, 1938 (शक)

निम्नलिखित अधिनियम, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया और जिसे 21 मार्च, 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, सार्वजनिक जानकारी हेतु एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

वायुयान द्वारा वहन (संशोधन) अधिनियम, 2016

संख्या 12, सन् 2016
[21 मार्च, 2016]

वायुयान द्वारा वहन अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने हेतु एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित को अधिनियमित किया जाता है:–

1.

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **वायुयान द्वारा वहन (संशोधन) अधिनियम, 2016** होगा।

2.

वायुयान द्वारा वहन अधिनियम, 1972 (जिसे इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4क में, उपधारा (5) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"**(6)** केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अध्याय II के अनुच्छेद 24 के अधीन अभिरक्षक (Depository) द्वारा संशोधित दायित्व की सीमाओं को प्रभावी कर सकेगी, ताकि उस अध्याय के अधीन वाहकों की देयता और क्षति के लिए प्रतिकर की राशि का निर्धारण किया जा सके।"

मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"**8क.**

(1) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने अथवा जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक लगातार सत्रों में पूर्ण हो सकती है; और यदि उक्त सत्र अथवा क्रमागत सत्रों के तुरंत पश्चात वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हो जाएँ, अथवा दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएँ कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए थी, तो तत्पश्चात वह नियम या अधिसूचना केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी अथवा, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा; तथापि ऐसा कोई संशोधन अथवा निरस्तीकरण उस नियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।"

डॉ. रीता वशिष्ठ
अपर सचिव, भारत सरकार